न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

A4

अनवान :– राजस्व विविध :– 213/2016

1. अवतारसिंह पुत्र अंग्रेजसिंह जाति रामगढिया निवासी चक 9 ए छोटी श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट आफ राजस्थान– जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 27.10.2016**

प्रार्थी अवतारसिंह पुत्र अंग्रेजसिंह जाति रामगढिया निवासी चक 9 ए छोटी श्रीगंगानगर के खाता दुरूस्ती बाबत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ मे एवं पटवारी हल्का 4 जी छोटी व भू. अभिलेख निरीक्षक बुर्जवाली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2016 के द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 9 ए छोटी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 80 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर आदेश दिये जाते है, कि प्रार्थी द्वारा निम्न खाता की भूमि पर यदि किसी बैक से ऋण आदि ले रखा हो तो भार मुक्त होनें पर निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते है :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	चक 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर	80	निर्मलसिंह	निर्मलकौर

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर